


# फर्द अहकाम

धर्मवीर बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्या: 179/2024

क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7.2024	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को पेश है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने वाके ग्राम छीतरोली पटवार हल्का अवानिया भू0अ0नि0क्षे0 अवानिया में स्थित खसरा नम्बर 705, 706 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। जिसमें प्रार्थी का नाम धमवीर ठोलिया पुत्र रामदेव सिंह ठोलिया अंकित था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय प्रार्थी का नाम धमवीर ठोलीया पुत्र रामदेव सिंह ठोलीया अंकित कर दिया गया। जिसे दुरुस्त किया जावे।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया लिपिकिय त्रुटि दुरस्त की जावे।</p> <p>बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की वाके ग्राम छीतरोली पटवार हल्का अवानिया भू0अ0नि0क्षे0 अवानिया में स्थित खसरा नम्बर 705, 706 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर में प्रार्थी नाम धमवीर ठोलीया पुत्र रामदेव सिंह ठोलीया के स्थान पर शुद्ध नाम धमवीर ठोलिया पुत्र रामदेव सिंह ठोलिया दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दपत्र हो।</p>	

  
सुप्रखण्ड अधिकारी  
जयपुर विधीय (सांगानेर)

